न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–935/2026</u>
UPAD010026142026

भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र खेदु सिंह निवासी ग्राम किरांव, पोस्ट शाहीपुर, थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–186/2019
धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं.
धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी. एक्ट
<u>थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज</u>

<u>दिनांक–12.03.2026</u>

जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह** की ओर से **मु0अ0स0–186/2019, धारा–323, 504, 506, भा.दं.सं. व धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी.** एक्ट, थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार/भाई भानु प्रताप सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशर्फीलाल द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–14.03.2019 को थाना हंडिया में पंजीकृत करायी गयी है कि दिनांक–14.03.2019 को सुबह 10.00 बजे लगभग विपक्षी संजय सिंह उर्फ जोखू सिंह, भुवन सिंह, प्रार्थी की बैनामेंशुदा भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की बोयी गयी फसल काटने की बदनियती से पहुंचे, उक्त को देखकर जब प्रार्थी ने मना करना चाहा तो विपक्षीगण उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ एक जुट होकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारीजन पर प्राणघातक हमला कर दिया, मारने के दौरान पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और जाति सूचक गालियां भी दी जा रही थी। दौरान मारपीट प्रार्थी का सर फट गया व प्रार्थी की बहू अनीता देवी के उपर धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया गया, अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थी घर में घुसकर अपना जान बचाना चाहे तो विपक्षीगण गोलबंद होकर जबरन घर के अंदर घुसकर बुरी तरह से मारे पीटे, जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों के अन्दरूनी चोटें आयी।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना नैनी प्रयागराज पर अभियुक्त भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा मु0अ0स0–186/2019 धारा–452 323, 504, 506, भा.दं.सं. व धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी. एक्ट, में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा धारा–452 भा.दं.सं. का लोप करते हुए, विवेचना के उपरांत अभियुक्त भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह एवं अन्य के विरूद्व धारा–323, 504, 506, भा.दं.सं. व धारा–3(2)(5क) एस. सी/एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को गांव की पार्टीबंदी की वजह से उपरोक्त अपराध में साजिशन गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थीका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। उसका जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस निर्गत किया गया, जो वादी को तामील हुआ, उसके उपरांत भी वादिनी जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी मुकदमा एवं उसके अन्य परिजनों को मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने, जातिसूचक गालियां एवं जानमाल की धमकी दिये जाने का आक्षेप लगाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह के विरूद्व बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दिनांक–17.12.2025 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का उक्त मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्त संजय सिंह उर्फ जोखू सिंह की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **एहतेशाम अहमद जैदी बनाम उ.प्र. राज्य 2020(1) JIC 542 (All)** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **प्रभाकर तिवारी बनाम उ.प्र. राज्य बनाम अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** में अभिधारित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्व अन्य दाण्डिक वाद लंबित होने का तथ्य उसकी जमानत निरस्त किये जाने का

आधार नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **भुवन सिंह उर्फ गोविन्द सिंह** का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। **अभियुक्त द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक संतोषप्रद प्रतिभू** दाखिल करने पर, उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

दिनांक–12.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।